



सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 11 फाल्गुन, 1944 (श०)
2 मार्च, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1)	कृषि विभाग	-	-	01
(2)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	-	-	01
(3)	नगर विकास एवं आवास विभाग	-	-	01
कुल योग				<u>03</u>

अनुदान देना

12. श्री संजय सरावणी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा) — स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 4 फरवरी, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक “किसानों को कृषि योग्यिकीकरण का लाभ दिलाने में 20 जिले पिछड़े” को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कृषि योग्यिकीकरण योजना मद में राज्य के 20 जिले में 2022-23 में राशि की निकासी नहीं की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत 90 प्रकार की मशीनों पर समिक्षा का प्रावधान रखा गया है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 94.05 करोड़ रुपये अनुदान की योजना है ;

(3) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर है लेकिन राशि की निकासी नहीं हुई है, जिससे किसानों को इस मद में अनुदान बाधित है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त राशि की निकासी कर किसानों को कृषि यंत्र पर अनुदान देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आपूर्ति पर रोक लगाना

13. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज) — क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज प्रखंड सहित राज्य भर में औंगनबाड़ी केन्द्रों, मिड-डे मील हेतु विद्यालयों एवं राशन कार्डधारियों को दिया जाने वाला पोषणयुक्त चावल में साइट्रिक एसिड की मात्रा एफ०एस०एस०ए०आई० के अनुसार मानक से काफी अधिक पाई गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिस साइट्रिक एसिड का उपयोग चावल को चमकदार बनाने में किया जाता है उस साइट्रिक एसिड का मानक से अधिक मात्रा में उपयोग किये जाने से उपभोक्ता को कई तरह की बीमारियों का खतरा बना रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार साइट्रिक एसिड युक्त चावल को आपूर्ति पर रोक लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्वीकृत कराना

14. श्री विजय कुमार सिन्हा (क्षेत्र संख्या-168 लखीसराय) — क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि एक साल में पटना नगर निगम से वास्तुविद, अभियंता, संरचना अभियंता, नगर निवेशक, पर्यवेक्षक, भवन निर्माण की वैधता नवीकरण व पंजीकरण नहीं होने के कारण नवशा स्वीकृति का कार्य बंद है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नवशा स्वीकृति बंद रहने के कारण नगर निगम को हो रहे राजस्व क्षति के चलते मेयर ने नवशा स्वीकृति प्रक्रिया पुनः शुरू करने हेतु सरकार से पत्र द्वारा अनुमति माँगी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना नगर निगम में नवशा स्वीकृति कराने का कार्य पुनः शुरू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :

दिनांक 2 मार्च, 2023 (ई०)।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
विहार विधान सभा, पटना।